

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/268/2022

वउनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
2. शेलेशसिंह पुत्र दिगम्बरसिंह जाति जाट
3. शिल्पीसिंह पुत्री दिगम्बरसिंह जाति जाट
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र जवारिसह जाति जाट
5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
6. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
7. देवेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट

निवासीयान ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर

वादीगण

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र विहारीसिंह जाति जाट
2. सुधीरसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
3. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
4. विपिन कुमार पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
5. साधना पुत्री राजवीरसिंह जाति जाट
6. बबीता पुत्री राजवीरसिंह जाति जाट
7. लक्ष्मणसिंह दोहित्री विहारी जाति जाट
8. तोरनसिंह दोहित्री बिहारी जाति जाट
9. चन्द्रपाल सिंह दोहित्रा बिहारी जाति जाट
10. रामचरण पुत्र श्यामलाल जाति जाट
11. रामबाबू पुत्र पदमसिंह जाति जाट
12. कुशलपाल पुत्र पदमसिंह जाति जाट
13. शांति पत्नी पदमसिंह जाति जाट
14. रनवीरसिंह पुत्र खजानसिंह जाति जाट
15. जगदीश पुत्र खजानसिंह जाति जाट

निवासीयान ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर

16. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपस्थित

श्री ब्रह्मानन्द शर्मा एडवोकेट- अधिवक्ता वादीगण

श्री श्यामसिंह चौहान एडवोकेट- प्रतिवादी सं० 1 ला० 15

निर्णय

दिनांक 21/7/13

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा घोषणात्मक व हुकमइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 773 रकवा 0.39 हे. 799 रकवा 0.28 हे. 802 रकवा 0.25 हे. 804 रकवा 0.30 हे. 828 रकवा 0.28 हे. 833 रकवा 0.43 हे. 838 रकवा 0.34 हे. 839 रकवा 0.35 हे. 884 रकवा 0.39 हे. 908 रकवा 0.09 हे. 909 रकवा 0.46 हे. 824 रकवा 0.44 हे. 817 रकवा 0.38 हे. ग्राम बीजला तहसील कटूमर में स्थित है। वादीगण ने दावा के पैरा सं० 4 में परिवार का सजरा अंकित किया है। विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मनवट के आधार पर निम्न प्रकार से वंटवारा कर रखा है। आराजी खसरा नम्बर 908 रकवा 0.09 हे. 909 रकवा 0.46 हे. किता 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह तथा वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार 1/12 हिस्सा वादी सं० 2-3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा वादी सं० 4 ला० 7 का बहिस्सा बराबर 4/12 हिस्सा रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 804 रकवा 0.30 हे. सम्पूर्ण हिस्सा 884 रकवा 0.39 हे. का 19/39 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह के हिस्से में 20/39 हिस्सा वादी सं० 4 गजेन्द्रसिंह के हिस्से में व खसरा नम्बर 833 रकवा 0.43 हे. का 22/43 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलवीरसिंह के हिस्से में व 21/43 हिस्सा वादी सं० 2 व 3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह वहिस्सा बराबर हिस्से में व खसरा नम्बर 799 रकवा 0.28 हे. पूर्ण हिस्सा वादी सं० 6 नरेन्द्रसिंह को व खसरा नम्बर 838 रकवा 0.34 हे. सम्पूर्ण हिस्सा वादी सं० 7 देवेन्द्रसिंह के हिस्से में रहेगा। खसरा नम्बर 824 रकवा 0.44 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 ला० 6 सुधीरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, विपिन कुमार, साधना, बबीता बहिस्सा बराबर रहेगा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 10 रामचरण पुत्र श्यामलाल के हिस्से में व आराजी खसरा नम्बर 828 रकवा 0.28 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 8 तोरनसिंह व 1/2 हिस्सा चन्द्रपालसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 802 रकवा 0.25 हे. सम्पूर्ण चन्द्रपालसिंह व खसरा नम्बर 773 रकवा 0.39 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 9 चन्द्रपालसिंह के हिस्से में 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा तोरनसिंह के हिस्सा में रहेगा व खसरा नम्बर 817 रकवा 0.38 हे. का 1/2 हिस्सा रनवीरसिंह, जगदीशसिंह वहिस्सा बराबर तथा 1/2 हिस्सा रामबाबू, कुशलपाल, शांति वहिस्सा बराबर हिस्से में रहेगा मौके पर मुताविक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण काविज है मुताविक वंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण को आराजी में खातेदार काशतकार घोषित कर दिया जावे। आराजी खसरा नम्बर 58 रकवा 0.56 हे. का 1/2 हिस्सा वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार व 1/2 हिस्सा वादी सं० 5 सुरेन्द्रसिंह के हिस्से में व खसरा नम्बर

अपक्ष अधिकारी
कटूमर (मलवट) राज०

59 रकवा 0.54 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 7 लक्ष्मणसिंह व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 ला० 6 सुधीरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, विपिनकुमार, साधना, बबीता का बहिस्सा बराबर रहेगा तथा ग्राम बरखेडा में आराजी खसरा नम्बर 27 रकवा 0.23 हे. का 11/23 हिस्सा वादी सं० 2 शैलेशसिंह व वादी सं० 3 शिल्पीसिंह के हिस्से में तथा 12/23 हिस्सा वादी सं० 4 गजेन्द्रसिंह के हिस्से में रहेगा। वाके ग्राम खेरली तहसील नगर का आराजी खसरा नम्बर 631 रकवा 0.55 हे. पूर्ण 659 रकवा 0.37 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलवीरसिंह के हिस्से में रहेगा व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 7 लक्ष्मणसिंह के हिस्से में रहेगा। वाके ग्राम बाजाहेडा तहसील नगर के खसरा नम्बर 2 रकवा 0.63 हे. का 24/63 हिस्सा प्रतिवादी सं० 8 तोरनसिंह के हिस्से में रहेगा व 19/63 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलवीरसिंह के हिस्से में व 20/63 हिस्सा वहिस्सा बराबर वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार वादी सं० 5 सुरेन्द्रसिंह वादी संख्या 6 नरेन्द्रसिंह के हिस्से में रहेगा। सम्पूर्ण आराजी का वंटवारा मनवट के आधार पर हुआ है अपने अपने हिस्से पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काविज है। अतः वादीगण ने मुताविक अनुतोष दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं० 1 ला० 15 की ओर से श्री श्यामसिंह चोहान एडवोकेट ने हाजिर अदालत होकर वादीगण के दावा के तथ्यों को स्वीकार करते हुये इकवाल जवाव पेश किया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2075 से 2078 किता 3 प्रदर्श-1 जमाबन्दी ग्राम बरखेडा फौजदार संवत् 2076 से 2079 प्रदर्श 2 जमाबन्दी ग्राम शेखपुरा सवत् 2074 से 2077 प्रदर्श- 3 जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम बाजाहेडा तहसील नगर प्रदर्श-4 जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 किता 3 ग्राम खेरली प्रदर्श-5 पेश की है जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह स्वयं वादी गजेन्द्रसिंह का शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के ईकवाल जवाव के आधार पर वाद में एक तनकी कायम की गयी। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वादी के शपथ पत्र का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये मुताविक अनुतोष दावा डिकी किये जानेका निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने ईकवाल जवाव पेश कर वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामिलता खातेदारी में दर्ज है लेकिन वादीगण ने विवादित आराजी का मनवट के अनुसार काश्त करना व कब्जा बताया है दावा के पैरासं० 5 के उप पैरा अ में विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मनवट के अनुसार काश्त करना अंकित किया है जिसे प्रतिवादीगण ने इकवाल जवाव पेश कर स्वीकार किया है। स्वयं वादी

गजेन्द्रसिंह ने अपना शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है जिसमें विवादित आराजी पर मनवट के अनुसार कब्जा काश्त होना कथन किया है। चूँकि विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामिलता खातेदारी में दर्ज है लेकिन विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मनवट के अनुसार कब्जा काश्त सावित होने से दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 908 रकवा 0.09 हे. 909 रकवा 0.46 हे. किता 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह तथा वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार 1/12 हिस्सा वादी सं० 2-3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा वादी सं० 4 ला० 7 का बहिस्सा बराबर 4/12 हिस्सा रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 804 रकवा 0.30 हे. सम्पूर्ण हिस्सा 884 रकवा 0.39 हे. का 19/39 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह के हिस्से में व 20/39 हिस्सा वादी सं० 4 गजेन्द्रसिंह के हिस्से में व खसरा नम्बर 833 रकवा 0.43 हे. का 22/43 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलवीरसिंह के हिस्से में व 21/43 हिस्सा वादी सं० 2 व 3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह वहिस्सा बराबर हिस्से में व खसरा नम्बर 799 रकवा 0.28 हे. पूर्ण हिस्सा वादी सं० 6 नरेन्द्रसिंह को व खसरा नम्बर 838 रकवा 0.34 हे. सम्पूर्ण हिस्सा वादी सं० 7 देवेन्द्रसिंह के हिस्से में रहेगा। खसरा नम्बर 824 रकवा 0.44 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 ला० 6 सुधीरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, विपिन कुमार, साधना, बबीता बहिस्सा बराबर रहेगा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 10 रामचरण पुत्र श्यामलाल के हिस्से में व आराजी खसरा नम्बर 828 रकवा 0.28 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 8 तोरनसिंह व 1/2 हिस्सा चन्द्रपालसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 802 रकवा 0.25 हे. सम्पूर्ण चन्द्रपालसिंह व खसरा नम्बर 773 रकवा 0.39 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 9 चन्द्रपालसिंह के हिस्से में 1/2 हिस्से में व 1/2 हिस्सा तोरनसिंह के हिस्सा में रहेगा व खसरा नम्बर 817 रकवा 0.38 हे. का 1/2 हिस्सा रनवीरसिंह, जगदीशसिंह वहिस्सा बराबर तथा 1/2 हिस्सा रामबाबू, कुशलपाल, शांति वहिस्सा बराबर वाके ग्राम बीजला तहसील कटूमर हिस्से में रहेगा। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कटूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर) राज०

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 21/7/20 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर) राज०

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

वउनवान

1. महेन्द्र कुमार पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
 2. शेलेशसिंह पुत्र दिगम्बरसिंह जाति जाट
 3. शिल्पीसिंह पुत्री दिगम्बरसिंह जाति जाट
 4. गजेन्द्रसिंह पुत्र जवारिसिंह जाति जाट
 5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
 6. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
 7. देवेन्द्रसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति जाट
- निवासीयान ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर

डिक्रीदारान

बनाम

1. बलवीरसिंह पुत्र विहारीसिंह जाति जाट
 2. सुधीरसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
 3. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
 4. विपिन कुमार पुत्र राजवीरसिंह जाति जाट
 5. साधना पुत्री राजवीरसिंह जाति जाट
 6. बबीता पुत्री राजवीरसिंह जाति जाट
 7. लक्ष्मणसिंह दोहित्री विहारी जाति जाट
 8. तोरनसिंह दोहित्री बिहारी जाति जाट
 9. चन्द्रपाल सिंह दोहित्रा बिहारी जाति जाट
 10. रामचरण पुत्र श्यामलाल जाति जाट
 11. रामबाबू पुत्र पदमसिंह जाति जाट
 12. कुशलपाल पुत्र पदमसिंह जाति जाट
 13. शांति पत्नी पदमसिंह जाति जाट
 14. रनवीरसिंह पुत्र खजानसिंह जाति जाट
 15. जगदीश पुत्र खजानसिंह जाति जाट
- निवासीयान ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर
16. तहसीलदार कटूमर तहसील कटूमर जिला अलवर

मदयूनान


उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर) राज०

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 908 रकवा 0.09 हे. 909 रकवा 0.46 हे. किता 2 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह तथा वादी सं० 1 महेन्द्र कुमार 1/12 हिस्सा वादी सं० 2-3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा वादी सं० 4 ला० 7 का बहिस्सा बराबर 4/12 हिस्सा रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 804 रकवा 0.30 हे. सम्पूर्ण हिस्सा 884 रकवा 0.39 हे. का 19/39 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह के हिस्से में व 20/39 हिस्सा वादी सं० 4 गजेन्द्रसिंह के हिस्से में व खसरा नम्बर 833 रकवा 0.43 हे. का 22/43 हिस्सा प्रतिवादी सं० 1 बलबीरसिंह के हिस्से में व 21/43 हिस्सा वादी सं० 2 व 3 शैलेशसिंह, शिल्पीसिंह बहिस्सा बराबर हिस्से में व खसरा नम्बर 799 रकवा 0.28 हे. पूर्ण हिस्सा वादी सं० 6 नरेन्द्रसिंह को व खसरा नम्बर 838 रकवा 0.34 हे. सम्पूर्ण हिस्सा वादी सं० 7 देवेन्द्रसिंह के हिस्से में रहेगा। खसरा नम्बर 824 रकवा 0.44 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 2 ला० 6 सुधीरसिंह, पुष्पेन्द्रसिंह, विपिन कुमार, साधना, बबीता बहिस्सा बराबर रहेगा तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 10 रामचरण पुत्र श्यामलाल के हिस्से में व आराजी खसरा नम्बर 828 रकवा 0.28 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 8 तोरनसिंह व 1/2 हिस्सा चन्द्रपालसिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 802 रकवा 0.25 हे. सम्पूर्ण चन्द्रपालसिंह व खसरा नम्बर 773 रकवा 0.39 हे. का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं० 9 चन्द्रपालसिंह के हिस्से में 1/2 हिस्से में व 1/2 हिस्सा तोरनसिंह के हिस्सा में रहेगा व खसरा नम्बर 817 रकवा 0.38 हे. का 1/2 हिस्सा रनवीरसिंह, जगदीशसिंह बहिस्सा बराबर तथा 1/2 हिस्सा रामबाबू, कुशलपाल, शांति बहिस्सा बराबर वाके ग्राम बीजला तहसील कठूमर हिस्से में रहेगा। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

आज दिनांक 21/7/23 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

लाखनसिंह गर्जरा
उपस्थान अधिकारी कठूमर (अलवर)